

श्रीधर सी०, भा०प्र०से० समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 23.05.12 को अंचल कार्यालय, रामनगर का किये गये निरीक्षण की टिप्पणी :-

1.0 परिचय :-

इस अंचल की स्थापना 11.10.1964 में हुई है। जिला मुख्यालय बेतिया से सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा रामनगर अंचल जुड़ा हुआ है। बेतिया से रामनगर उत्तर पश्चिम दिशा में 50 कि०मी० पर प्रमंडल मुख्यालय से 235 कि०मी० पर तथा राज्य मुख्यालय से 315 कि०मी० पर अवस्थित है। इस अंचल के उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में लौरिया अंचल, पूरब में नरकटियागंज अनुमंडल, तथा पश्चिम में बगहा अनुमंडल अवस्थित है।

1.1 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या :-

1 कुल जनसंख्या-	1,92,975
2 कुल अनुसूचित जाति-	25,379
3 कुल अनुसूचित जनजाति-	4,852

1.2 कुल ग्रामों की संख्या-

1 चिरागी-	133
2 बेचिरागी-	26
3 पंचायतो की संख्या-	18
4 वार्डों की संख्या	23
5 हल्कों की संख्या-	12

1.3 अंचल कार्यालय का कारपेट एरिया :-

1 अंचल का कुल क्षेत्रफल-	154,62 वर्गमील
2 कुल भूमि का रकबा-	84915.61 हेक्टेयर
3 कुल गैरमजरूआ मालिक भूमि-	30533,96 एकड
4 कुल गैरमजरूआ आम भूमि-	1499,06 एकड
5 प्राथमिक विधालय की संख्या-	165-(प्रा०वि० 110, रा०मदरसा-4, म०वि०-51)
6 उच्च विधालय की संख्या-	6
7 महाविधालय की संख्या-	1
8 कुल थाना-	3

2.0 भवन :-

यह कार्यालय प्रखण्ड कार्यालय भवन के एक कमरा में चलता है जिसमें सभी कार्यालय कर्मियों को कार्य करने में असुविधा हो रही है। बरसात में पानी टपकने की भी शिकायत है। अंचल में पदस्थापित कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन उपलब्ध नहीं है। किसी हल्का में हल्का कचहरी नहीं है। केवल मुख्यालय में बड़ा राजस्व कचहरी जर्जर स्थिति में है तथा रहने लायक नहीं है। जर्जर भवनों की मरम्मत का प्राकलन तैयार कर प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

R

3.0 प्रभार :-

विगत तीन पदाधिकारियों के पदस्थापन की अवधि निम्नवत है।

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	कब से	कब तक
1	2	3	4	5
1	श्री कुमार विनोद	अंचल अधिकारी,	04.03.2009	03.04.2010
2	श्री अजय कुमार	..	04.04.2010	05.02.2012
3	श्री सृष्टिराज सिन्हा	..	06.02.2012	अभी तक

श्री सृष्टिराज सिन्हा परीक्ष्यमान उप समाहर्ता दिनांक 06.02.2012 से अंचल अधिकारी के प्रभार में हैं। इसके पूर्व श्री अजय कुमार, अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। श्री एडवर्ड लकड़ा, अंचल निरीक्षक वर्ष 2004 से अंचल निरीक्षक के रूप में पदस्थापित हैं। वर्तमान में मोहम्मद हसन जॉन दिनांक 04.01.2012 से प्रधान लिपिक के प्रभार में हैं। इसके पूर्व श्री सिरिल माईकेल प्रधान लिपिक के प्रभार में थे। इनकी लगातार अनुपस्थिति एवं कार्य में लापरवाही के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा-2 द्वारा इनकी प्रतिनियुक्ति बगहा-2 अंचल में की गई है। अंचल अधिकारी, बगहा के आदेशानुसार पुनः इस कार्यालय में प्रभार सौंपने हेतु इनकी प्रतिनियुक्ति दिनांक 08.05.2012 को की गई है। इनके द्वारा अबतक पूर्ण रूप से प्रभार नहीं सौंपा गया है। नोटिस निर्गत कर प्रभार सौंपने का निदेश दें। फिर भी प्रभार नहीं सौंपने पर प्राथमिकी दर्ज कर 15 दिन के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करें।

4.0 स्थापना :-

इस अंचल में सरकारी सेवकों के पदस्थापना की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र0	पदनाम	स्वीकृति बल	कार्यरत बल	रिक्त	अभियुक्ति
1	अंचल अधिकारी	01	01	00	
2	अंचल निरीक्षक	01	01	00	
3	लिपिक	05	03	02	
4	राजस्व कर्मचारी	13	10	03	
5	अंचल अमीन	01	01	0	नियोजित
6	जीप चालक	01	01	00	
7	अनुसेवक	04	04	0	
कुल		26	21	05	

4.1 स्वीकृत बल के विरुद्ध पदस्थापना की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र0	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि	पदस्थापना की तिथि	गृहपता
1	अजय कुमार	अंचल अधिकारी	09.07.1990	26.11.1959	05.04.2010	पिता0 श्री हरिनारायण प्रसाद, ग्राम+पो0 पतौरा, लाला टोला, मोतिहारी
2	श्री एडवर्ड लकड़ा	अंचल निरीक्षक	26.09.1980	25.06.1959	28.02.2004	पिता श्री पतरस लकड़ा ग्राम करमा टोली, पो0 गुमला, जिला गुमला
3	श्री सिरिल माईकेल	प्रधान लिपिक	14.11.1981	26.10.1958	07.07.2011	श्री माईकेल फ्रानसिस, चर्च रोड, बेतया

4	श्री म० हसन जॉन	लिपिक	23.06.1982 25.02.1994	09.1.1960	10.08.2009	श्री नुरुल होदा, ग्राम+पो० सनसरैया, भैया बेतिया जिला, प० चम्पारण
5	श्री रमाशंकर शर्मा	..	23.09.2011	09.04.1983	07.11.2011	पिता, श्री सुभाष मिस्त्री, ग्राम मकरी, पो० मानपुर मकरी, बसवरीया, जिला प० चम्पारण,
6	श्री विरवहादुर राम	राजस्व कर्म०	04.01.1978	02.09.1952	23.07.2009	पिता, श्री चनरमल राम, ग्राम+पो० लाल सरैया कोठी, थाना मझौलिया, जिला प० चम्पारण
7	श्री चन्द्रिका राम	..	28.03.1979	02.01.1960	30.07.2009	पिता, श्री भरथरी राम, ग्राम+पो० चनपटिया, जि० प० चम्पारण
8	श्री शिवसागर प्रसाद	..	02.06.1987	02.11.1965	27.07.2009	पिता, श्री गनेश दास, ग्राम घुसपुरा(बसवरिया) पो०, बेतिया
9	श्री शशि भुषण कुमार	..	03.10.1986	02.01.1960	20.07.2009	पिता, श्री जग्रनाथ प्रसाद ग्राम+पो० कालीबाग बेतिया, जि० प० चम्पारण
10	श्री सनारी प्रसाद मॉंझी	..	23.09.1980	10.02.1955	05.10.2009	पिता, श्री लालू मांझी ग्राम किलपुर१ पो० कबिरपुर थाना मैरवा जि० सिवान
11	श्री ललन झाँ	..	01.01.1988	16.06.1967	02.03.2009	पिता, श्री सिवनाथ झा ग्राम नवगॉंवा पो० लक्ष्मीपुर, जि० प० चम्पारण
12	श्री मनोज कुमार	..	24.01.2004	08.10.1977	07.03.2009	पिता, श्री भगरथ प्रसाद ग्राम बेलसंड, पो० बरौली, थाना बरौली, जि० गोपालगंज
13	श्री प्रदीप विश्वकर्मा	..	24.01.2004	10.01.1973	07.03.2009	पिता, श्री राजाथ विश्वकर्मा, ग्राम मदनी पुर, भैया, डालमिया नगर, थाना सासाराम, जि० रोहतास
14	श्री योगेन्द्र प्रसाद	..	07.10.1986	17.01.1960	30.07.2009	पिता, श्री नथुनी प्रसाद, ग्राम फुलवरिया, पो० सहादतपुर, थाना लौरिया, जि० प० चम्पारण
15	श्री उदय कान्त मिश्र	..	17.01.2000	01.03.1980	02.03.2009	पिता, स्व० सूर्यकान्त मिश्र, ग्राम गोपीनाथ पुर, पो० सरैया, जिला मुजफ्फपुर
16	श्री अनवर अंन्सारी	अंचल अमिन नियोजि त	10.02.2012	04.01.1972	10.02.2012	सा० अगरवा, मोतिहारी, नियर कब्रिस्तान के दक्षिण, ज्ञान सागर पबलिक स्कूल जिला० पू० चम्पारण

17	श्री समसुदीन अन्सारी	जिप चालक	28.05.1987	12.12.1962	28.05.1987	पिता, श्री कतवारन अन्सारी, ग्राम नरैनापुर, पो0 रामनगर जि0 प0 चम्पारण,
18	श्री कपिलदेव साह	अनुसेव क	28.05.1985	24.08.1957		पिता, श्री सिंगासन साह, ग्राम, धुमनगर कचहरी टोला, भैया+पो0 बेतिया
19	श्री कैलाश प्रसाद	..	28.05.1985	05.08.1958		पिता, श्री रामलखन प्रसाद, ग्राम बनवा टोला, पो0 बेतिया, जि0 प0 चम्पारण
20	श्री रामबालक राउत	..	28.05.1985	17.02.1962		पिता, श्री मुन्नी राउत, ग्राम बानुछापर, पो0 बेतिया, जि0 प0 चम्पारण
21	श्री चण्डी ठाकुर	ग्रूप डी0	23.03.2012	11.10.88	18.04.2012	पिता श्री लक्ष्मी ठाकुर ग्राम तुमकडिया, ओझवलिया, थाना, बैरिया, प0 चम्पारण

5.0 पूर्व निरीक्षण :-

इस कार्यालय का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्र0	निरीक्षक पदा0 का पदनाम	निरीक्षण की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	अपर समाहर्ता, प0 चम्पारण बेतियां	10/01/2011	निरीक्षण टिप्पणी अप्राप्त
2	अनुमंडल पदाधिकारी बगहा	11/12/2010	-
3	अपर समाहर्ता, प0 चम्पारण बेतियां	21/09/2011	492 दिनांक 16.05.12

5.1 अप्राप्त निरीक्षण टिप्पणी निरीक्षी पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर दिए गए निदेशों का अनुपालन एक महीना के अंदर कर प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

6.0 पत्राचार :-

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम-8 के अनुसार प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है। विगत तीन वर्ष में पत्राचार की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र0	वर्ष	कुल प्राप्त पत्र	कुल निर्गत पत्र
1	2	3	4
1	2009	321	546
2	2010	475	1032
3	2011	729	1430
4	2012	342	540

उपरोक्त कंडिका से स्पष्ट नहीं होता है कि वर्षवार कितने प्रधान एवं अप्रधान पत्र प्राप्त एवं निर्गत हुए हैं। एक सप्ताह के अंदर सूची प्रस्तुत करें।

7.0 अनुक्रमणी पंजी :-

अनुक्रमणी पंजी संधारित है। तथा संचिकाओं की विवरणी अंकित की गई है।

8.0 सेवा पुस्त :-

इस कार्यालय में सेवापुस्त पंजी संधारित है। सभी सहायक/राजस्व कर्मचारी, एवं अंचल निरीक्षक का सेवा पुस्त अद्यतन है।

9.0 स्टाफ पंजी :-

स्टाफ पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। अद्यतन रखने का निदेश दिया गया।

10.0 उपस्थिति पंजी :-

उपस्थिति पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। अंचल अधिकारी प्रत्येक दिन कार्यालय अवधि प्रारंभ होने के 10 मिनट बाद पंजी में उपस्थिति का सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

11.0 अवकाश पंजी :-

आकस्मिक अवकाश पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। अवकाश हेतु जो आवेदन प्राप्त होते हैं अवकाश स्वीकृति के बाद पंजी में अंकित कर पदाधिकारी से सत्यापन करायें।

12.0 भंडार पंजी :-

इस कार्यालय में भंडार पंजी संधारित नहीं था जिसे संधारित किया गया है। संबंधित कार्यालय उपयोग हेतु जिन सामग्रियों का कय किया जाता है उसकी प्रविष्टि भंडार पंजी में करते हुए पदाधिकारी से सत्यापित करायें।

13.0 कर्म पुस्तिका :-

इस अंचल में कर्म पुस्तिका विहित प्रपत्र में संधारित है। कर्म पुस्तिका में निष्पादन हेतु लंबित पत्रों का निष्पादन 15 दिन के अंदर पूर्ण कर प्रतिवेदित करें।

14.0 प्रधान सहायक नोट बुक :-

इस कार्यालय में प्रधान सहायक नोट बुक संधारित है।

15.0 कार्यतालिका :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 105 के अनुसार उतरदायित्व निर्धारण हेतु कार्य तालिका तैयार कर संबंधित कर्मों के सामने टांगा गया है। कर्मों द्वारा उन्हें सौंपे गये दायित्व का निर्वहन ससमय किया जा रहा है का अंचल अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण/समीक्षा करें।

16.0 लंबित पत्रों की पंजी :-

इस अंचल में लंबित पत्रों की पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है।

17.0 वाहन लॉग बुक :-

अंचल कार्यालय में इसी माह में सरकारी वाहन उपलब्ध हुई है। लॉग बुक संधारित किया जा रहा है। लॉग बुक का संधारण विहित प्रपत्र में करें। प्राप्त ईंधन एवं की गयी परिवहन को प्रत्येक दिन पदाधिकारी से सत्यापित करायें। विहित प्रपत्र में वाहन का इतिहास पंजी संधारित करें।

18.0 लोक सभा/विधान सभा प्रश्न :-

लोक सभा/विधान सभा प्रश्न के लिए एक पंजी संधारित है। इस प्रकार के जब भी मामले प्राप्त होते हैं द्रुत गति से कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।

19.0 अंकेक्षण :-

अंकेक्षण पंजी एवं संचिका उपलब्ध नहीं है। कार्यालय में छानबीन करें। प्राप्त नहीं होने पर इसके प्रभारी लिपिक पर कार्रवाई करें।

20.0 माननीय उच्च न्यायालय/निम्न न्यायालय से संबंधित वादों की स्थिति :-

माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद से संबंधित एक पंजी संधारित है। अतः कुल ज्ञात वाद निम्न प्रकार है:-

क्र० सं	वादों का प्रकार	कुल संख्या
1	2	3
01	सी०डबलु०जे०सी०	02
02	एम०जे०सी०	शून्य.

माननीय उच्च न्यायालय में दायर वादों की एक पंजी संधारित की गई है परन्तु यह अद्यतन नहीं है। कार्यालय में 2 मामले लंबित है जिसमें 1 मामले की तथ्य विवरणी तैयार कर वरीय पदाधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है। एक मामले की तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिवक्ता के पास भेजा गया है। एक सप्ताह के अंदर शपथपत्र दायर कर ओथ की प्रति जिला विधि शाखा को प्रेषित करें।

21.0 रिपोर्ट रिटर्न :-

इस अंचल में रिटर्न। रक्षी संचिका में संधारित है तथा मासिक प्रतिवेदनों की भी संचिका संधारित है। सभी प्रकार के प्रतिवेदन ससमय संबंधित कार्यालय को उपलब्ध हो सुनिश्चित करेंगे।

22.0 लगान वसूली :-

इस अंचल में विगत तीन वर्षों में लगान वसूली का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	वित्तीय वर्ष	मांग	वसूली	प्रतिशत
1	2	3	4	5
01	2009-10	2249361.00	577356.60	25.67%
02	2010-11	2129131.01	340620.05	16 %
03	2011-12	2179136.05	649743.00	29.81%

यह बताया गया कि रसीद के अभाव में वसूली प्रभावित हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

23.0 सैरात :-

इस अंचल में सैरात पंजी संधारित है। कुल 10 सैरात है जिसमें 7 बंदोवस्त है 3 सैरात की बंदोबस्ती उच्च पदाधिकारी द्वारा करना है, जो अभी नहीं हुआ है। सम्पर्क कर जल्द बंदोबस्त करने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	मांग	वसूली	प्रतिशत
01	2011-12	65033.00	29526.00	45.40%
02	2012-13	76869.00	5131.00	6.67%

24.0 गैरमजरूआ आम/खास भूमि :-

इस अंचल में कुल भूमि का रकबा 84915.61 हेक्टेयर है, जिसमें गैरमजरूआ आम भूमि का रकबा 1499.06 ऐकड़ एवं गैरमजरूआ खास भूमि का रकबा 30537.96 ऐकड़ है।

25.0 व्यावसायिक लगान :-

इस अंचल में व्यवसायिक लगान का एक भी मामला नहीं है।

26.0 दाखिल खारिज :-

दाखिल-खारिज पंजी फॉर्म-27 में संधारित है। फॉर्म-7 में निष्पादन की पंजी संधारित है। वर्ष 2012-13 में दिनांक 19.05.2012 तक कुल 144 दाखिल खारिज किया गया है। तेजी लाने का निदेश दिया गया।

27.0 अतिक्रमण :-

इस अंचल में वर्ष 2012-13 में एक भी मामला दाखिल नहीं हुआ है।

28.0 खाता पुस्तिका :-

वर्तमान में खाता पुस्तिका से संबंधित कार्य बाधित है।

39.0 बटाईदारी :-

वर्तमान में इस अंचल में बटाईदारी से संबंधित एक भी मामला नहीं है।

30.0 बेदखली :-

वर्तमान में इस अंचल में बेदखली से संबंधित एक भी मामला नहीं है। यह विश्वसनीय नहीं है। जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करें।

31.0 34-4 एच0/04 जी के मामले :-

गलत एवं संदिग्ध जमबंदी से संबंधित कोई मामला वर्तमान में लंबित नहीं है। अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा रही है।

32.0 भू-सीमांकन :-

भू-सीमांकन का रजिस्टर संधारित है। वर्ष 2012-13 में कुल 05 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें आवेदन निष्पादित नहीं है। अविलम्ब अमीन की प्रतिनियुक्ति कर सीमांकन प्रारंभ करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामनगर के जमीन की मापी करें यदि अतिक्रमित है तो मुक्त करने की कार्रवाई करें।

33.0 भू-हदबंदी :-

वर्तमान में यह पंजी उपलब्ध है। भू-हदबंदी अधिनियम अंतर्गत भूधारी के द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न से संबंधित पंजी कार्यालय में संधारित है। अत्यंत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। यह महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसे बचाकर रखने की आवश्यकता है।

34.0 बंदोबस्ती :-

बंदोबस्ती तीन प्रकार से की जाती है। गैरमजरूआ मालिक, जिसकी बंदोबस्ती अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से की जाती है, गैरमजरूआ आम, जिसकी बंदोबस्ती महादलितों के लिए आयुक्त महोदय के स्तर से की जाती है एवं बासगीत पर्चा। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आम एवं मालिक

जमीन की बंदोबस्ती से संबंधित एक ही पंजी संधारित है एवं बासगीत से संबंधित अलग से एक पंजी संधारित है, जो विहित प्रपत्र में नहीं है। सहायक द्वारा कम्प्यूटरीकृत सूची संधारित होने की बात बतायी गयी परन्तु निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः तीनों पंजियों को अलग-अलग विहित प्रपत्र में संधारित करने की आवश्यकता है। साथ ही कार्यालय में संधारित अन्य अभिलेखों को सुव्यवस्थित कर रखने की आवश्यकता है। अनुपालन कर एक माह के अंदर प्रतिवेदन प्रेषित करें।

35.0 साहूकार अधिनियम :-

वर्तमान में इस अंचल में साहूकार अधिनियम से संबंधित एक भी मामला नहीं होने की जानकारी दी गई। जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

36.0 निलाम पत्र वाद :-

जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार निलाम पत्र से संबंधित सभी अभिलेख एवं पंजी अनुमंडल निलाम पत्र कार्यालय बगहा हस्तांतरित करा दिया गया है।

37.0 न्यूनतम मजदूरी :-

वर्तमान में इस अंचल में न्यूनतम मजदूरी से संबंधित एक भी मामला लंबित नहीं बताया गया। छानबीन करें, यदि मामले प्राप्त होते हैं, उसका निष्पादन करें।

38.0 भूदान :-

इस अंचल में भूदान पंजी संधारित है, जिसका दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम है। भूमि पर लाभार्थियों का दखल कब्जा है।

39.0 लगान निर्धारण :-

कार्यालय में लगान निर्धारण का रजिस्टर संधारित है। वर्तमान में अपर समाहर्ता, प0 चम्पारण के कार्यालय में न्यायिक कार्य हेतु प्रेषित है।

40.0 जमाबंदी सुधार :-

वर्तमान में इस अंचल में जमाबंदी सुधार से संबंधित एक भी मामला दायर नहीं है।

41.0 नजारत :-

41.1 रोकड़ बही :-

अंचल नजारत में रोकड़ बही का संधारण शीर्ष वार विधिवत् रूप से किया गया है। वर्तमान में दिनांक 18.05.2012 तक रोकड़ों का अन्त शेष निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	शीर्ष	राशि
1	2	3
01	2029 भू राजस्व राशि	74205.62
02	2055 पुलिस	0.00
03	0029 लगान एवं अन्य वसूली	45885.41
04	2245 सहाय्य	641960.92
05	सूद रोकड़ पंजी	54361.00
06	2015 निर्वाचन	6103.41
07	504.	3775.68
08	2245 सुखाड	.0.01

09	एकादश वित्त आयोग	1535.00
10	2235 सां० सुरक्षा	18000.00
11	2506 भूहदबंदी	56000.00
12	जिला योजना	69163.33
13	2071 पंसेन	0
14	8011,	0
15	8005,	0
16	महादलित वास भूमि	0
कुल योग		970996.38

- 41.2 सूद मद में 54361 रू० अवशेष दिखाया जा रहा है। राजस्व मद में सूद की राशि संधारित करके रखने का कोई प्रावधान नहीं है। जमा शीर्ष में 15 दिन के अंदर जमा करें।
- 41.3 शीर्ष 2015 निर्वाचन मद में 6103.41 रू० दर्शाया गया है। चेक के माध्यम से संबंधित कार्यालय को वापस करें।
- 41.4 एकादश वित्त आयोग में 1535.00 रू० दर्शाया गया है। चेक के माध्यम से वापस करें।
- 41.5 2235 सामाजिक सुरक्षा मद में 18000 रू० दर्शाया गया है। चेक के माध्यम से जिला पदाधिकारी के पदनाम से सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को राशि वापस कर दें।
- 41.6 शीर्ष 2506 भू-हदबंदी में 56000 रू० दर्शाया गया है। कोषागार के संबंधित शीर्ष में जमा करें।
- 41.7 जिला योजना मद में 69163 रू० दर्शाया गया है। चेक के माध्यम से राशि जिला योजना पदाधिकारी को वापस करें।
- 41.8 0029 लगान एवं अन्य वसूली मद में 45885.41 रू० दर्शाया गया है। इसे कार्यालय में रखने का कोई औचित्य नहीं है। एक सप्ताह के अंदर राशि कोषागार में जमा करें।
- 41.9 बैंक खाता विवरणी :-

क्र० सं०	बैंक का नाम	राशि
01	2	3
01	भारतीय स्टेट बैंक, हरिनगर	354315.02
02	भारतीय स्टेट बैंक, बगहा	26127.85
03	भारतीय स्टेट बैंक, रामनगर	10689.01
04	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, रामनगर	1856.00
05	अग्रिम मद में	60154.00
06	अभिभव मद में	500864.00
07	नगद रोकड	17000.00
कुल योग		970996.38

- 41.10 सूद में 54361 रू० दर्शाया गया है। यह किस मद से प्राप्त हुआ है स्पष्ट नहीं है। उसे मदवार वर्गीकरण कराया जा रहा है।
- 41.11 भारतीय स्टेट बैंक, रामनगर एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, रामनगर में जो खाता संधारित है, जमा की जाने वाली राशि को जमा कर बंद कर दें। भारतीय स्टेट बैंक, बगहा में कोषागार हेतु एवं स्थानीय निकासी/जमा के लिए भारतीय स्टेट बैंक, रामनगर में खाता रखें।
- 41.12 अग्रिम में 60154 रू० दर्शाया गया है। अग्रिम लेने वाले कर्मचारी की विवरणी तैयार कर संबंधितों को नोटिस निर्गत कर वसूल की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

41.13 अभिश्रव में 500864 रू0 दर्शाया गया है। वर्षवार, विषयवार वर्गीकरण कर समायोजन हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

42.0 रक्षी संचिका :-

इस अंचल में महत्वपूर्ण सरकारी निदेशों एवं नियमों के संधारण हेतु रक्षी संचिका संधारित है। रक्षी संचिका को सही ढंग से रखें एवं जो भी महत्वपूर्ण पत्र प्राप्त होते हैं उसका विषयवार रक्षी संचिका संधारण किया जाता है।

43.0 भू- अर्जन :-

भू- अर्जन के लिए पंजी संधारित नहीं है। संधारित करने का निदेश दिया गया।

44.0 सहाय्य :-

सहाय्य मद में मो0 641960.92 रू0 दर्शाया गया है। वर्तमान में सहाय्य मद में कोई भुगतान लंबित नहीं है। लंबित भुगतान की छानबीन करें। यदि लंबित नहीं है तो राशि वापस करें।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में नाव क्रय के लिए मो0 105000.00 रू0 अग्रिम निकासी कर रखी गई है परंतु नाव क्रय हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। कार्रवाई कर एक माह के अंदर क्रय कर भुगतान सुनिश्चित करें।

45.0 महादलित :-

महादलित योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र-1 एवं 2 जिला कार्यालय को भेजा जा चुका है। 253 महादलित परिवारों को 9.08 एकड़ का बासगीत पर्चा निर्गत किया जा चुका है।

46.0 भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एल0पी0सी0) :-

इस अंचल में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र पंजी संधारित है, जिसका संधारण नियमानुसार किया जा रहा है। इस कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। लोक सेवा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निष्पादन समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करेंगे।

47.0 सूचना का अधिकार :-

इस अंचल में सूचना का अधिकार से संबंधित पंजी संधारित है। वर्ष 2012-13 में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं। उस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निष्पादन समय सीमा के अंदर करें।

48.0 जन शिकायत :-

48.1 माननीय मुख्य मंत्री जनता दरबार :-

इस अंचल में मुख्य मंत्री जनता दरबार से संबंधित परिवाद एवं आवेदन की पंजी संधारित है। वर्तमान में मात्र 04 आवेदन जांच के क्रम में लंबित है। लंबित आवेदनों का निष्पादन एक पक्ष में कर अनुपालन प्रेषित करें।

48.2 जिला एवं अनुमंडल जनता दरबार :-

इस अंचल में जिला एवं अनुमंडल जनता दरबार से संबंधित आवेदन की पंजी संधारित है। वर्तमान में 10 आवेदन जांच के क्रम में लंबित है। लंबित आवेदनों का निष्पादन एक पक्ष में करते हुए अनुपालन प्रेषित करें।

49.0 बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम :-

निरीक्षण की तिथि को कार्यपालक सहायक द्वारा अंचल से निर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों, दाखिल खारिज एवं भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र से संबंधित निष्पादित एवं लंबित मामलों की सूची प्रेषित की गयी। कोई भी मामला निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद निष्पादन हेतु लंबित नहीं पाया गया।

50.0 निष्कर्ष :-

राजस्व संबंधी विभिन्न पंजियों के संधारण एवं रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्व वसूली में वृद्धि तथा वित्तीय प्रबंधन सुधारने की दिशा में कार्रवाई कर अनुपालन भेजें।

*Rudra
Wastin*

(श्रीधर सी०)

समाहर्ता,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 663 / गो०, दिनांक 24-05-2012

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, रामनगर को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा/भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगहा/वरीय प्रभारी, प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, रामनगर/प्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, प० चम्पारण, बेतिया/अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Rudra
Wastin*

(श्रीधर सी०)

समाहर्ता,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

एज्ञापांक 663 / गो०, दिनांक 24-05-2012

प्रतिलिपि :- आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर, की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

*Rudra
Wastin*

(श्रीधर सी०)

समाहर्ता,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

5/12
①